न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

पंकज कुमार यादव बनाम विमला देवी वगै०

वाद संख्या –148 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14/12/23	आदेश अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा–सबलपुर, थाना–सरिया, अंचल–सरिया, जिला– गिरिडीह, खाता न०–169, प्लॉट न०–38, रकवा–80 डी० , चौहद्दी– उ०–अर्जुन यादव वगै०, द०–रास्ता, पू०–फूलचंद यादव का मकान, प०–रामसहाय यादव पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा दाखिल कर बताया की प्रथम पक्ष के पूर्वज कोल्हा गोप वगै० के नाम से भूतपूर्व जमीनदार के द्वारा बंदोबस्ती से वाद की भूमि प्राप्त है एवं बंदोबस्ती के उपरांत प्रथम पक्ष के पूर्वज कोल्हा गोप वगै० का जमाबंदी भी अंचल कार्यालय सरिया के जमाबंदी पंजी–*II* के भाग संख्या–01 पेज संख्या–240 पर संचालित है एवं लगातार मालगुजारी रशीद निर्गत है। प्रश्नागत वाद की भूमि का बटवारा प्रथम पक्ष के दादा एवं उसके हिस्सेदारों के बीच पूर्व में हीं हो चुका है। प्रथम पक्ष अपने हिस्से के जमीन पर दखलकार हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा बाजबरन प्रथम पक्ष के हिस्से वाली जमीन पर बुनियाद की खुदाई किया जाने लगा तब विवाद उत्पन्न हो गया परिणाम स्वरूप प्रथम पक्ष के द्वारा वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। 1. राजस्व रशीद की छायाप्रति। 2. ऑनलाइन पंजी–*II* की छायाप्रति। 3. ऑनलाइन खतियान की छायाप्रति। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि प्रश्नगत वाद की भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जो उभय पक्षो के पूर्वज कोल्हा गोप वगै० को भूतपूर्व जमीनदार हासिल है। राजस्व रशीद भी उभय पक्षों के नाम पर निर्गत है एवं जमाबंदी कायम है। उभय पक्ष एक हीं रैयत के वंशज हैं प्रश्नागत वाद के भूमि का बटवारा वर्ष 2016 में हो चुका है एवं बटवारा के आधार पर अन्य हिस्सेदारों के द्वारा क्रय–विक्रय किया गया है। बटवारा के अनुसार	

वाद की भूमि पर द्वितीय पक्ष के हिस्से में रास्ता की ओर 22.5 फीट चौड़ाई प्राप्त हुआ जिस पर द्वितीय पक्ष दखलकार हैं प्रथम पक्ष के द्वारा बेवजह मुकदमा दायर किया गया है जो खारिज करने के योग्य है।

थाना प्रभारी सरिया के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया है वाद की भूमि पर वर्तमान में द्वितीय पक्ष का कब्जा है परन्तु दोनो पक्ष आपस में टकराव को तत्पर हैं।

उभय पक्षों के अधिवक्ता के दलीलों को सुनने, अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूवा खास खाते की है जिस पर बँटवारे से संबंधित विवाद है। साथ ही भूमि की जमाबंदी कैसे कायम हुई इसका कोई प्रमाण उभय पक्ष प्रस्तुत नही किए। अंचल अधिकारी, सरिया का जाँच प्रतिवेदन भी अप्राप्त हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में चुँकि उभय पक्ष का विवाद बँटवारे से संबंधित है जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है।

अतः प्रस्तुत वाद में किसी के पक्ष में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नही होगा। उभय पक्ष बँटवारे संबंधी विवाद के निपटारे के लिए सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

साथ ही चुँकि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूवा खास खाते की है। अतः अंचल अधिकारी, सरिया को निदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि की जमाबंदी की विधिवत जाँच करते हुए नियमानुसार कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष तथा अंचल अधिकारी, सरिया को भेजें।

14/12/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

14/12/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 12:59:16 +05:30
Location: 192.168.1.3